न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- मांगीलाल (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या:- 21/2022
राजस्व वाद:- अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी खिदरत तहसील बाप जिला जोधपुर
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी खिदरत तहसील बाप जिला जोधपुर

वादीगण......

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी खिदरत तहसील बाप जिला जोधपुर
2. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण.....

उपस्थित:-

1. श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री प्रकाश विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

दिनांक:- 11/02/2023

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 53/20 रकबा 7.1225 हैक्टेयर स्थित है। जिसे वाद में वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया जायेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 53/20 रकबा 7.1225 हैक्टेयर पूर्व में वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मोहनसिंह के नपाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से जरिये डिक्री प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का अपने पैतृक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला [illegible] वादीगण ने अपने पैतृक हिस्से की भूमि पर अपनी अलग-[illegible] के टांके इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणियों में [illegible] अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या के ही नाम दर्ज है जबकि उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म से ही हक व हिस्सा है और वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर अपने-अपने हिस्से

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:30 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। इसलिये वादीगण ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 53/20 रकबा 7.1225 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय स्तर से सम्मन तामील होने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाब दावा पेश कर बताया कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 53/20 रकबा 7.1225 हैक्टेयर भूमि पूर्व में वादीगण के दादा व मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज थी जो वर्तमान में मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। अगर अदालत हाजा द्वारा उक्त भूमि में मेरे साथ मेरे पुत्र वादीगण का नाम दर्ज किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर बताया कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 53/20 रकबा 7.1225 हैक्टेयर भूमि पैतृक सम्पति होने से जरिये डिक्री के नामान्तरण संख्या 1165 मौजा कानसिंह की सिड प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर दिया जाकर वाद का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादी की ओर से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई बहस में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 53/20 रकबा 7.1225 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजी भूमि हमारी जद्दी जायदाज है। बहस में कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है। इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जावे [illegible] सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में अधिवक्ता वादीगण ने नामान्तरण संख्या 1165 मौजा कानसिंह की सिड की चित्रप्रति पेश की, के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी [illegible] सम्पति साबित होने से वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mang
Date: 2024.02.06 14:58
Reason: SelfAttested

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम कानसिंह की सिड के नामान्तरण संख्या 1165 व वर्तमान जमाबंदी से वादपत्र में वर्णित

आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबालिया जवाब पेश कर घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 53/20 रकबा 7.1225 हैक्टेयर भूमि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम हो। उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय सहायक जिलाधिकारी बाप ... (राज.)

(मंगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

सहायक कलेक्टर बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi La
Date: 2024.02.06 14:58:30
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

1. महेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी खिदरत तहसील बाप जिला जोधपुर
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी खिदरत तहसील बाप जिला जोधपुर

वादीगण.......

बनाम

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी खिदरत तहसील बाप जिला जोधपुर
2. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर, राजस्थान

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत् धारा 88 आर.टी.एक्ट — मुकदमा संख्या :- 21/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे

व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व प्रकाश विश्नोई प्रति. सं. 1 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 53/20 रकबा 7.1225 हैक्टेयर भूमि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम हो। उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुताल्लिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह — फीस सदी सालाना आज की

तारीख — को अदा करे।

वसूल याबी तक

बदस्तखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/02/2023 को जारी की गई।

(मांगीलाल R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (जोधपुर)

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:30 IST
Reason: SelfAttested